"सोशल आडिट टीम सदस्य" हेतु आवेदन पत्र

अभ्यर्थी की स्व–हस्ताक्षरित फोटो

1— विकास खण्ड :..

2— ग्राम पंचायत :..

3— अभ्यर्थी का नाम :..

4— पिता/पति का नाम :...

5— जन्मतिथि :...

6— शैक्षिक अर्हता :..

7— श्रेणी (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जॉबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र/पुत्री): ....

8— सोशल आडिट टीम सदस्य के रूप में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है— हाँ/नहीं

प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष—

9— निवास का पता एवं मोबाइल नं0 :...

....

10— स्वयं सहायता समूह का सदस्य है:—(हाँ/नहीं)

नोट: **जन्मतिथि, शैक्षिक अर्हता, आरक्षित श्रेणी, निवास से संबंधित प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियॉ आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाये।**

दिनांक ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर....................................

आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी :

- प्रत्येक सोशल आडिट टीम में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, तथा जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री—प्रत्येक श्रेणी से एक—एक सदस्य होंगे। टीम में न्यूनतम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य होने पर उसे वरीयता दी जाएगी।
- **शैक्षिक अर्हता:—** हाईस्कूल उत्तीर्ण। श्रमिक के मामलें में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।
- **निवास:—** सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
- टीमों के पैनल पर पूर्व के वर्षों में नामित टीम सदस्यों को वर्तमान पैनल पर नामित किए जाने हेतु वरीयता (Weightage) दी जाएगी।
- सोशल आडिट टीम सदस्यों के पैनल में ग्राम पंचायत वार्ड के सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान के निकट सम्बन्धी, यथा—पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन (अविवाहित), पुत्र/पुत्री (अविवाहित), क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, वकील, प्रेस रिपोर्टर एवं कोटेदार को सम्मिलित न किया जाये।
- **आयु:—** 01 अप्रैल, 2026 को 25 से 63 वर्ष के बीच हो।
- सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण **सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 02 वर्ष अर्थात 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक के लिए पैनल पर नामित किए जाएंगे।** इस तिथि के बाद यह पैनल स्वतः समाप्त हो जायेगा। सोशल आडिट टीमों के पैनल की समयावधि सक्षम के स्तर से बढ़ायी जा सकती है।
- पैनल पर नामित सदस्यगणों से केवल आवश्यकतानुसार सोशल आडिट हेतु उनकी सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। यह भी सम्भव है कि कतिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगणों से सोशल आडिट का कार्य न लिया जा सके। सोशल आडिट का कार्य न लिए जाने की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार का व्यावसायिक शुल्क अनुमन्य न होगा।
- सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर सोशल आडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को सोशल आडिट के दौरान रू0 435/— प्रतिदिन व्यावसायिक शुल्क के रूप में अनुमन्य होगा।
- **सोशल आडिट टीम के सदस्यों की सेवाएं पूर्णतया सामाजिक कार्य है। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी।**
- जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र पहुँचने की **अंतिम तिथि : 30 जनवरी, 2026।**